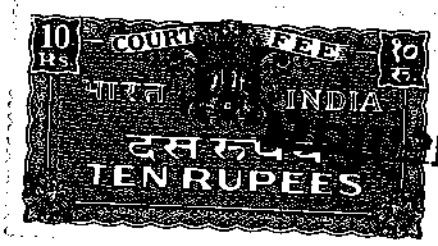

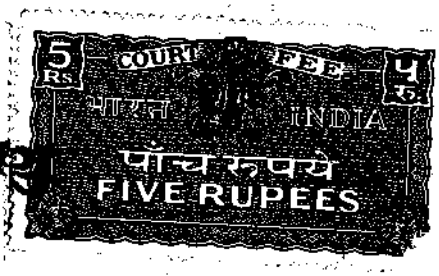

10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. COURT FEE ५ रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(54)

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र०

R 383/II/06

रामनिवास शर्मा पुत्र श्री जयनारायण शर्मा
निवासी - ग्राम विरखड़ी तहसील रौन
जिला - भिण्ड (म०प्र०)

श्री ... द्वारा आज दि० 28/2/06 प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

.... आवेदक

विरुद्ध

1. बाबूराम पुत्र श्री रामगोपाल बारी
निवासी ग्राम विरखड़ी तहसील- रौन
जिला - भिण्ड (म०प्र०)

2. किशनलाल पुत्र रामगोपाल ब्राम्हण
निवासी ग्राम विरखड़ी तहसील - रौन
जिला - भिण्ड (म०प्र०) हाल निवासी -
शिवाजी नगर, आमखो, लश्कर, ग्वालियर ।

... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
28-2-06 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/2004-05/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.10.2005 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है :-

प्रकरण के तथ्य :-

1- यह कि, विवादित भूमि ख.क्र. 1047 रकबा 0.06, 1547 रकबा 0.62, 1584 रकबा 0.42, 1586 रकबा 0.32 एवम्

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 383–दो/06 निगरानी जिला भिण्ड

दिनांक तथा क्रमांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-7-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 42/2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 30–10–2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अतर्गत पेश की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों एंव प्रकरण के तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री के0एल0गुप्ता के तर्क सुने । 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम विरखडी की अपर कलेक्टर के आदेश में वर्णित भूमि रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 21–8–2000 से रामनिवास ने कय की। केता राम निवास के हित में तहसील रौन से प्रकरण नंबर 29/99–2000 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 20–8–02 से केता का नामान्तरण किया किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील होने पर विविल वाद लम्बित रहने के कारण प्रकरण कमांक 118/01–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–12–03 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 42/2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 30–10–2005 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15–12–2003 निरस्त किया गया तथा अपर कलेक्टर भिण्ड का आदेश दिनांक 16–6–05 भी निरस्त किया गया है।	

4/ उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्को पर मनन् करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब माननीय द्वित्तीय अपर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 लहार के निर्णय दिनांक 63-8-02के पालन में अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 30-12-2005 पारित करके अपर कलचेक्टर का आदेश दिनांक 16-6-15 निरस्त किया है एंव नामान्तरण कार्यवाही रोकने के निर्देश दिये हैं तथा मान0द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 लहार के निर्णय अनुसार नामान्तण कार्यवाही करने का निर्णय लिया है, विद्वान अपर आयुक्त का निर्णय दिनांक 30-12-05 स्वतः स्पष्ट है क्योंकि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश में फेर-बदल की गुंजायश नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 42/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 30-10-2005 विधिवत् होने से स्थिर रखते हुए निगरानी अस्वीकार की जाती है।

सदस्य